"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 56] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 मार्च 2012—चैत्र 9, शक 1934

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 मार्च, 2012 (चैत्र 9, 1934)

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2012 (क्रमांक 4 सन् 2012) के "उद्देश्य एवं कारणों का कथन" में शुद्धि पत्र

क्रमांक-156/विधान/2012.—दिनांक 26 मार्च, 2012 को पुर:स्थापित छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2012 (क्रमांक 4 सन् 2012), जो दिनांक 26 मार्च, 2012 के राजपत्र में प्रकाशित हुआ है, के उद्देश्यों एवं कारणों का कथन के पैरा-3 में शब्द "अनुसूचित जातियां" के स्थान पर "अनुसूचित जनजातियां" शुद्ध कर पढ़ा जाए.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.